रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082020-221339
CG-DL-E-25082020-221339

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942
No. 211] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(पीएलआई निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

सं. 25-1/2020-एलआई.—राष्ट्रपति भारत के राजपत्र संख्या (भाग I, खंड 1, असाधारण) में 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित "डाक घर जीवन बीमा नियमावली, 2011" में पुन: निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

2. नियम 55, 55.1 और 55.2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

के स्थान पर :

55. प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा और बाल पालिसी को छोड़कर किसी भी पालिसी को नकदी के तत्काल भुगतान के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कि पालिसी तीन वर्ष से कम अवधि की न हो। ऐसे किसी मामले में, बीमाकृत व्यक्ति या पालिसी का समनुदेशिती जैसा भी मामला हो, संबंधित पोस्टमास्टर जनरल को अभ्यर्पण का लिखित नोटिस देगा तथा यदि प्रीमियम नकद रूप में अदा किए गए हों तो प्रीमियम रसीद पुस्तिका और ऋण का मूलधन / ब्याज बकाया हो तो ऋण पुनर्भुगतान रसीद पुस्तिका के साथ किसी भी डाकघर में पालिसी या उसकी दूसरी प्रति अथवा इंडेम्निटी बांड (यदि पालिसी खो गई हो) भेजेगा। संबंधित डाकघर केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान डाकघर) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक को ये सभी दस्तावेज भेजेगा जहां से यह अनुमोदन के लिए पोस्टमास्टर जनरल को भेजा जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति के वेतन से प्रीमियम के लिए आगे की जाने वाली कटौतियां पोस्टमास्टर जनरल के अनुमोदन के बाद केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के

पोस्टमास्टर / प्रबंधक से अनुदेश प्राप्त होने पर बंद कर दी जाएंगी। इस नियम के अंतर्गत अभ्यर्पित की गई पालिसी उस महीने के अंत तक प्रवृत्त बनी रहेगी जिसमें पोस्टमास्टर जनरल को अभ्यर्पित करने के संबंध में आवदेन प्राप्त हुआ हो तथा तद्नुसार उस अवधि के लिए भी प्रीमियम देय होगा जिसके लिए पालिसी इस प्रकार प्रवृत्त बनी रही हो। ऐसी पालिसियों के संबंध में जिनके वार्षिक प्रीमियम पहले से ही नकद में अदा किए गए हो, अभ्यर्पण की तारीख पर विचार किए बिना वर्ष के अंत में अभ्यर्पण मूल्य की गणना की जाए लेकिन जिस समय पालिसी धारक अभ्यर्पण मूल्य की अदायगी चाहे उस समय उसकी अदायगी की जा सकती है। प्रीमियम बंद किए जाने की तिथि से पालिसी पर किसी बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। पाँच वर्ष पूरे होने के बाद अर्थात यदि पालिसी न्यूनतम पाँच वर्ष तक सक्रिय रहती है, तो प्रदत्त मूल्य पर उसी अनुपात में बोनस प्रदान किया जाएगा।

पढ़ें :

55. प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा और बाल पालिसी को छोड़कर किसी भी पालिसी को नकदी के तत्काल भुगतान के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कि पालिसी तीन वर्ष से कम अवधि की न हो। ऐसे किसी मामले में, बीमाकृत व्यक्ति या पालिसी का समनुदेशिती जैसा भी मामला हो, संबंधित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक को अभ्यर्पण का लिखित नोटिस देगा तथा यदि प्रीमियम नकद रूप में अदा किए गए हों तो प्रीमियम रसीद पुस्तिका और ऋण का मूलधन / ब्याज बकाया हो तो ऋण पुनर्भुगतान रसीद पुस्तिका के साथ किसी भी डाकघर में पालिसी या उसकी दूसरी प्रति अथवा इंडेम्निटी बांड (यदि पालिसी खो गई हो) भेजेगा। संबंधित डाकघर केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक को ये सभी दस्तावेज भेजेगा जहां से यह अनुमोदन के लिए संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी को भेजा जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति के वेतन से प्रीमियम के लिए आगे की जाने वाली कटौतियां अनुमोदन प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक से अनुदेश प्राप्त होने पर बंद कर दी जाएंगी। इस नियम के अंतर्गत अभ्यर्पित की गई पालिसी उस महीने के अंत तक प्रवृत्त बनी रहेगी जिसमें संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी को अभ्यर्पित करने के संबंध में आवदेन प्राप्त हुआ हो तथा तद्नुसार उस अवधि के लिए भी प्रीमियम देय होगा जिसके लिए पालिसी इस प्रकार प्रवृत्त बनी रही हो। ऐसी पालिसियों के संबंध में जिनके वार्षिक प्रीमियम पहले से ही नकद में अदा किए गए हों, अभ्यर्पण की तारीख पर विचार किए बिना वर्ष के अंत में अभ्यर्पण मूल्य की गणना की जाए लेकिन जिस समय पालिसी धारक अभ्यर्पण मूल्य की अदायगी चाहे उस समय उसकी अदायगी की जा सकती है। प्रीमियम बंद किए जाने की तिथि से पालिसी पर किसी बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा । पाँच वर्ष पूरे होने के बाद अर्थात यदि पालिसी न्यूनतम पाँच वर्ष तक सक्रिय रहती है, तो प्रदत्त मूल्य पर उसी अनुपात में बोनस प्रदान किया जाएगा।

के स्थान पर :

55.1 इस नियम में उल्लिखित नोटिस तथा दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरांत, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ/ प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक दावेदार के हक की जांच करेगा तथा निर्धारित फार्मूले के अनुसार पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य की गणना करेगा। पालिसी के स्वीकार्य अभ्यर्पण मूल्य के संबंध में दावेदर को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह अभ्यर्पित की जाने वाली पालिसी के स्वीकार्य अभ्यर्पण मूल्य को प्राप्त करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति / असहमति लिखित रूप में प्रेषित कर सके। बीमित व्यक्ति को सूचित अभ्यर्पण मूल्य की स्वीकार्य राशि का भुगतान लेने के लिए उससे सहमति प्राप्त होने पर, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक अनुमोदन के लिए मामला पोस्टमास्टर जनरल को भेजेगा। पोस्टमास्टर जनरल के अनुमोदन के बाद, दावेदार को सूचित करते हुए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक संबंधित पोस्टामास्टर को अभ्यर्पण मूल्य की स्वीकार्य राशि के भुगतान के लिए संस्वीकृति जारी करेगा। मंजूर की गई राशि का भुगतान दावेदार को उसके द्वारा डाकघर में आदेश की आदाता वाली प्रति लौटाने पर तथा आदेश के पिछले हिस्से पर, जहां आवश्यक हो, विधिवत स्टाम्पित रसीद पर उसके द्वारा

हस्ताक्षर करने पर किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान के मामले में नियम 52(2) में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

पढ़ें :

55.1 इस नियम में उल्लिखित नोटिस तथा दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरांत, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ/ प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक दावेदार के हक की जांच करेगा तथा निर्धारित फार्मूले के अनुसार पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य की गणना करेगा। पालिसी के स्वीकार्य अभ्यर्पण मूल्य के संबंध में दावेदर को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह अभ्यर्पित की जाने वाली पालिसी के स्वीकार्य अभ्यर्पण मूल्य को प्राप्त करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति / असहमति लिखित रूप में प्रेषित कर सके। बीमित व्यक्ति को सूचित अभ्यर्पण मूल्य की स्वीकार्य राशि का भुगतान लेने के लिए उससे सहमति प्राप्त होने पर, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक, यदि उसकी शक्तियों के अंदर होगा तो, अपने ही स्तर पर मामले को अनुमोदित करेगा, अथवा अनुमोदन के लिए मामला संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी को भेजेगा। संबंधित अनुमोदक द्वारा मामले के अनुमोदन के बाद, दावेदार को सूचित करते हुए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक संबंधित पोस्टामास्टर को अभ्यर्पण मूल्य की स्वीकार्य राशि के भुगतान के लिए संस्वीकृति जारी करेगा। मंजूर की गई राशि का भुगतान दावेदार को उसके द्वारा डाकघर में आदेश की आदाता वाली प्रति लौटाने पर तथा आदेश के पिछले हिस्से पर, जहां आवश्यक हो, विधिवत स्टाम्पित रसीद पर उसके द्वारा हस्ताक्षर करने पर किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान के मामले में नियम 52(2) में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

के स्थान पर :

55.2 आवेदक को अभ्यर्पण मूल्य का वास्तव में भुगतान किए जाने से पूर्व किसी भी समय पोस्टमास्टर जनरल अभ्यर्पण के किसी आवेदन को अपने विवेकानुसार वापस लेने की अनुमति दे सकता है, यदि आवेदन वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाएं तथा उससे निधि के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

पढ़ें :

55.2 आवेदक को अभ्यर्पण मूल्य का वास्तव में भुगतान किए जाने से पूर्व किसी भी समय अनुमोदन प्राधिकारी (सीजीएम (पीएलआई) के कार्यपालक आदेश द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित) अभ्यर्पण के किसी आवेदन को अपने विवेकानुसार वापस लेने की अनुमति दे सकता है, यदि आवेदन वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाएं तथा उससे निधि के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

3. नियम 58 (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

के स्थान पर :

58.(1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर पोस्टमास्टर जनरल / प्रभाग प्रमुख / पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का प्रबंधक अपने विवेक के आधार पर ऐसी पॉलिसी को अनुमत कर सकता है जो नियम 56(1) की शर्तों के अंतर्गत शून्य हो गई है या नियम 57(1) की शर्तों के अंतर्गत सक्रिय नहीं रह गई है और बहाल किए जाने के लिए नियम 56(3) या 57(3) के प्रावधानों के अंतर्गत बहाल नहीं की गई है, परंतु यह कि उक्त पॉलिसी ने परिपक्वता की तिथि प्राप्त नहीं की है और प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि नहीं गुजरी है और बीमित जीवन बहाली के समय बीमा योग्य है। ऐसी बहाली पोस्टमास्टर जनरल / प्रभाग प्रमुख / पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि के अंदर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित तथा ऐसी पॉलिसी के संबंध में प्रथम अदत्त प्रीमियम के देय होने की तिथि से परिकलित दरों पर उस पर ब्याज के साथ प्रीमियम के सभी एरियर के भुगतान के अधीन और निर्धारित प्रारूप में अधिकृत चिकित्सा परिचर से प्रमाण पत्र जिसमें बीमित व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं आदतों को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित किया गया है कि बीमित जीवन बीमा योग्य है और यह दर्शाने के

लिए साक्ष्य कि उसके निजी या पारिवारिक इतिहास या उसके पेशे में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है, के अधीन होगी।

पढ़ें :

58.(1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के आधार पर ऐसी पॉलिसी को अनुमत कर सकता है जो नियम 56(1) की शर्तों के अंतर्गत शून्य हो गई है या नियम 57(1) की शर्तों के अंतर्गत सक्रिय नहीं रह गई है और बहाल किए जाने के लिए नियम 56(3) या 57(3) के प्रावधानों के अंतर्गत बहाल नहीं की गई है, परंतु यह कि उक्त पॉलिसी ने परिपक्वता की तिथि प्राप्त नहीं की है और प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि नहीं गुजरी है और बीमित जीवन बहाली के समय बीमा योग्य है। ऐसी बहाली सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि के अंदर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित तथा ऐसी पॉलिसी के संबंध में प्रथम अदत्त प्रीमियम के देय होने की तिथि से परिकलित दरों पर उस पर ब्याज के साथ प्रीमियम के सभी एरियर के भुगतान के अधीन और निर्धारित प्रारूप में अधिकृत चिकित्सा परिचर से प्रमाण पत्र जिसमें बीमित व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं आदतों को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित किया गया है कि बीमित जीवन बीमा योग्य है और यह दर्शाने के लिए साक्ष्य कि उसके निजी या पारिवारिक इतिहास या उसके पेशे में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है, के अधीन होगी।

4. नियम 59 (2) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

के स्थान पर :

59(2) "..... जिस पालिसी पर पहले ऋण दिया जा चुका है उसकी जमानत पर इस नियम के उप नियम (1) में निर्धारित राशि से अनधिक दूसरा या अगला ऋण दिया जा सकता है। तथापि, दूसरा या परवर्ती ऋण तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पहले ऋण की अदायगी के पश्चात् एक वर्ष न बीत चुका हो।*

*पोस्टमास्टर जनरल अपवादात्मक परिस्थितियों में द्वितीय या परवर्ती ऋण दे सकता है।

पढ़ें :

59(2) "..... जिस पालिसी पर पहले ऋण दिया जा चुका है उसकी जमानत पर सीपीसी के पोस्टमास्टर / प्रबंधक द्वारा इस नियम के उप नियम (1) में निर्धारित राशि से अनधिक दूसरा या अगला ऋण दिया जा सकता है। तथापि, दूसरा या परवर्ती ऋण तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पहले ऋण की पूर्ण अदायगी नहीं हो जाएगी।

पीएलआई और आरपीएलआई पालिसी में पहले और परवर्ती ऋण की संशोधित सीमा :

क्र.सं .	**पदनाम**	**मौजूदा सीमा**	**प्रस्तावित संशोधित सीमा**
1.	**प्रधान कार्यालय / जीपीओ के सीपीसी का पोस्टमास्टर**	**कोई सीमा नहीं**	**कोई सीमा नहीं**

हटाएं

***पोस्टमास्टर जनरल अपवादात्मक परिस्थितियों में द्वितीय या परवर्ती ऋण दे सकता है।**

5. यह अधिसूचना 25 अगस्त 2020 से लागू मानी जावेगी ।

एल. एन. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)

अपर सचिव के समकक्ष

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2020

No. 25-1/2020-LI.—The President is pleased to make the further following amendments to "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part I, Section 1 Extraordinary):

2. Rule 55, 55.1 and 55.2 are amended as under: -

FOR

55. A policy other than an Anticipated Endowment Assurance, 10 Year Rural PLI and Children policy may be surrendered for an immediate payment in cash, provided the policy is of not less than three years duration. In such a case, the insured person or the assigns of the policy, as the case may be, shall give notice of surrender, in writing, to the Postmaster General concerned and forward the policy or a duplicate copy thereof or Indemnity bond (if policy is lost) at any Post office along with the premium receipt book, if premia had been paid in cash and loan repayment receipt book, if loan principal/interest is outstanding. The concerned Post Office will send all those documents to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) from where the same will be sent to the Postmaster General for approval. Further deductions on account of premium from the pay of the insured person shall cease on receipt of instructions of Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) issued after approval of Postmaster General. A policy surrendered under this rule shall continue to be in force till the end of the month in which the application for surrender is received by the Postmaster General and accordingly the premium shall also be payable for the period for which the policy continues to be in force. For policies in respect of which premium is paid annually in advance, surrender value is to be calculated at the end of the year irrespective of the date of surrender but payment of surrender value may be made when the policy holder asks for it. No bonus will be paid in respect of a policy with effect from the date of discontinuance of premia. Proportionate bonus shall be paid on paid up value after completion of 5 years i.e. if a policy remains in force at least for 5 years.

READ

55. A policy other than an Anticipated Endowment Assurance, 10 Year Rural PLI and Children policy may be surrendered for an immediate payment in cash, provided the policy is of not less than three years duration. In such a case, the insured person or the assigns of the policy, as the case may be, shall give notice of surrender, in writing, to the **Postmaster/Manager of Central Processing Centre (GPO/Head Office) concerned** and forward the policy or a duplicate copy thereof or Indemnity bond (if policy is lost) at any Post office along with the premium receipt book, if premia had been paid in cash and loan repayment receipt book, if loan principal/interest is outstanding. The concerned Post Office will send all those documents to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) from where the same will be sent **to the concerned approving authority** for approval. Further deductions on account of premium from the pay of the insured person shall cease on receipt of instructions of Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) issued after approval of the **concerned approving authority**. A policy surrendered under this rule shall continue to be in force till the end of the month in which the application for surrender is received by the **approving authority concerne**d and accordingly the premium shall also be payable for the period for which the policy continues to be in force. For policies in respect of which premium is paid annually in advance, surrender value is to be calculated at the end of the year irrespective of the date of surrender but payment of surrender value may be made when the policy holder asks for it. No bonus will be paid in respect of a policy with effect from the date of discontinuance of premia. Proportionate bonus shall be paid on paid up value after completion of 5 years i.e. if a policy remains in force at least for 5 years.

FOR

55.1 On receipt of the notice and the documents referred to in this rule, the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) shall examine the title of the claimant and calculate the surrender value of the policy in accordance with the prescribed formula. The admissible surrender value of the policy should also be communicated to the claimant for sending his consent/dissent in writing regarding taking payment or not taking payment of the admissible surrender value of the policy intended to be surrendered. On receipt of consent of insurant from taking payment of admissible amount of surrender value communicated to him, Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) will send the case to Postmaster General for approval. After approval of Postmaster General, Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) will issue sanction for payment of admissible amount of surrender value to the concerned Postmaster under intimation to the claimant. The amount sanctioned shall be

paid to the claimant on his surrendering the payee's copy of the order at the Post Office and signing a receipt for it, duly stamped, where necessary, on the back of the order. In case of payment through cheque Rule as prescribed in 52(2) may be followed.

READ

55.1 On receipt of the notice and the documents referred to in this rule, the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) shall examine the title of the claimant and calculate the surrender value of the policy in accordance with the prescribed formula. The admissible surrender value of the policy should also be communicated to the claimant for sending his consent/dissent in writing regarding taking payment or not taking payment of the admissible surrender value of the policy intended to be surrendered. On receipt of consent of insurant for taking payment of admissible amount of surrender value communicated to him, Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) **will approve the case at his own level , if within his powers , or send the case to concerned approving authority for approval. After approval of the case by concerned approver,** Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) will issue sanction for payment of admissible amount of surrender value to the concerned Postmaster under intimation to the claimant. The amount sanctioned shall be paid to the claimant on his surrendering the payee's copy of the order at the Post Office and signing a receipt for it, duly stamped, where necessary, on the back of the order. In case of payment through cheque Rule as prescribed in 52(2) may be followed.

FOR

55.2 The Postmaster General may, in his discretion, allow withdrawal of an application for surrender at any time before the surrender value is actually paid to the applicant if sufficient reasons are adduced for such a withdrawal, and if the withdrawal would not adversely affect the interest of the Fund."

READ

55.2 **Approving authority (as modified from time to time by executive order of CGM(PLI)) ,** in his discretion, may allow withdrawal of an application for surrender at any time before the surrender value is actually paid to the applicant if sufficient reasons are adduced for such a withdrawal, and if the withdrawal would not adversely affect the interest of the Fund."

3. Rule 58(1) is amended as under:

FOR

58.(1) The Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and a period of consecutive 5(five) years has not passed from the date of first unpaid premium and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified by the Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

READ

58.(1) **Authority competent to accept proposal**, may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and a period of consecutive 5(five) years has not passed from the date of first unpaid premium and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified by **the competent authority**, of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

4. Rule 59(2) is amended as under:

FOR

59(2) "…..A second or subsequent loan not exceeding the amount prescribed in sub-rule (1) of this rule may be granted on the security of a policy on which one loan has already been granted. The second or subsequent loan shall not, however, be granted until one year after the repayment of the previous loan*.

The Postmaster General may grant second or subsequent loan in exceptional circumstances.

READ

59(2) "…..A second or subsequent loan not exceeding the amount prescribed in sub-rule (1) of this rule may be granted by **Postmaster/Manager of CPC** on the security of a policy on which one loan has already been granted. The second or subsequent loan shall not, however, be granted until **full** repayment of the previous loan"

Revised Limits of first & subsequent loan against PLI & RPLI policies:

Sl.No.	Designation	Existing Limit	Proposed revised Limits
1.	Postmaster of CPC of HOs/ GPOs	No limit	No limit.

DELETE

***The Postmaster General may grant second or subsequent loan in exceptional circumstances.**

5. This Notification shall come into force with effect from 25th day of August, 2020.

L. N. SHARMA, Chief General Manager (PLI)
Equivalent to Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.25 21:18:57 +05:30